प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 03 के अनुसार

प्रशासनिक **स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग:– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 से 08 के अनुसार।**

विवरणी

1. **पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 9 से 12** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नही होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नही समझा जाये।
3. निर्माण कार्य **GTSNY अंतर्गत** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मधेपुरा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वंय कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो ले, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पुल/पुलिया कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकडा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव मे कोई परिवर्तन नही किया गया है, इसके स्थल चयन आकार प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन मे प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोडकर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन एव प्री–लेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण के लिए एस0क्यू0एम0 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरुप कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत प्राक्कलन के साथ संलग्न लम्ब काट एवं आडी काट के आधार पर किया गया एव जमीन उपलब्ध है, इसे मानते हुए गणना की गयी है।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बॉध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण मे व्यवहृत सामग्री एव स्वीकृत मदो के कार्यान्वयन में **Rural Roads Specification Rural Roads Manual (IRC SP :20) तथा IRC SP :72 एवं IRC SP :62** की विशिष्टि का अनुसरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदो की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के बिना नही किया जाये।
14. पथो के निर्माण मे कैम्बर, ग्रैडियंट आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।

मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक– 347 3130 /पटना,दिनांक– 19.01.21

प्रेषक,

ई0 अमरेन्द्र कुमार सिन्हा
मुख्य अभियंता–2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **मधेपुरा।**

विषय:– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **सुपौल** के अधीन शीर्ष **GTSNY** योजनान्तर्गत स्वीकृत **कुल 01 (एक)** अदद पथ के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबध मे।

प्रसंग:– आपका पत्रांक–**22** अनु0 दिनांक–**07.01.2021 एवं विभागीय पत्रांक–2327 दिनांक–29.12.20**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल कुल **01 (एक)** अदद पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ **का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग** तथा **प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र** के परिशिष्ट **'क'** के क्रमशः **स्तम्भ–3, 5 से 8 एवं 9 से 12** में अंकित है।

2. **पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है,** जो कि पत्र के परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **05 से 08** में अंकित है।
3. निर्माण कार्य **GTSNY योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के अवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
6. अधीक्षण अभियंता पथो का निरीक्षण प्रतिवेदन एव कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वी तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
8. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, **मधेपुरा** ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं है, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आडी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
11. **मूल तकनीकी स्वीकृति प्रद्त प्राक्कलन इस पुनरीक्षित प्राक्कलन का भाग होगा।**
12. पत्र के साथ **प्रावैधिक टिप्पणी** की प्रति संलग्न है।

अनु0– परिशिष्ट "क" एवं स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 19/1/21
मुख्य अभियंता–2

D:\TA TS\TS\Revised GTSNY.Docx